



भा.कृ.अ.प.-केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान
ICAR-CENTRAL SHEEP & WOOL RESEARCH INSTITUTE
अविकानगर (तहसील-मालपुरा जिला टोंक) वाया : जयपुर राजस्थान (भारत) 304501
AVIKANAGAR (MALPURA DISTT. TONK) RAJASTHAN (INDIA) 304501

दुरभाष:01437-220177
फैक्स- +91-1437-220163



Registered/email
Date 03-06-2016

F.No. 6(100)SP/Veh.Hir/2004/Vol.I

निमित्त-----

विषय- संस्थान में आकस्मिक मांग के आधार रजिस्टर्ड फर्म/ ट्रैवल एजेन्सी/ टेक्सी मालिक से निम्नलिखित दरों पर वाहन उपलब्ध करवाने हेतु लिमिटेड टेण्डर/कोटेशन

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपको सूचित किया जाता है कि सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली की और से निदेशक, केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर द्वारा संस्थान में आकस्मिक मांग के आधार रजिस्टर्ड फर्म/ ट्रैवल एजेन्सी/ टेक्सी मालिक से निम्नलिखित दरों पर वाहन उपलब्ध करवाने हेतु लिमिटेड टेण्डर/कोटेशन आमन्त्रित किये जाते हैं। जिसका विस्तृत विवरण, जानकारी, लिमिटेड टेण्डर/कोटेशन प्रपत्र, नियम व शर्तें आदि संस्थान की वेबसाइट www.cswri.res.in पर उपलब्ध है।

अतः आप से अनुरोध है कि इच्छुक निविदा/कोटेशनदाता संस्थान वेबसाइट www.cswri.res.in से लिमिटेड टेण्डर/कोटेशन प्रपत्र डाउनलोड करते हुए वांछित अमानत राशि एवं दस्तावेजों के साथ अंतिम तिथि **दिनांक 09-06-2016** को अपरान्ह 1-00 तक जमा करा सकते हैं। प्राप्त कोटेशनों को उसी दिन अपरान्ह 3-00 बजे समक्ष अधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति द्वारा उपस्थित निविदा/कोटेशन प्रस्तुत कर्ताओं के समक्ष खोला जावेगा।

निर्धारित तिथि व समय के उपरान्त प्राप्त लिमिटेड टेण्डरों/कोटेशनों पर विचार नहीं किया जावेगा और नाही किसी भी प्रकार की देरी के लिए संस्थान जिम्मेदार होगा।

भवदीय,

(शिवजी राम जाट)
सहायक प्रशासनिक अधिकारी (कय)

प्रति:

1. आहरण व सवितरण अनुभाग
2. वित्त एवं लेखा अनुभाग
3. भण्डार अनुभाग
4. प्रभारी ऐ0के0एम0युनिट से अनुरोध है कि उक्त लिमिटेड टेण्डर /कोटेशन को संस्थान वेबसाइट पर प्रकाशित करने का श्रम करे।
5. प्राभागाध्यक्ष पशु स्वास्थ्य विभाग



दुरभाष:01437-220177
फैक्स- +91-1437-220163
भा.कृ.अ.प.-केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान
ICAR-CENTRAL SHEEP & WOOL RESEARCH INSTITUTE
अविकानगर (तहसील-मालपुरा जिला टोंक) वाया : जयपुर राजस्थान (भारत) 304501
AVIKANAGAR (MALPURA DISTT. TONK) RAJASTHAN (INDIA) 304501



F.No. 6(100)SP/Veh.Hir/2004/Vol.I

Registered/email
Date 03-06-2016

निविदा/कोटेशन प्रपत्र

1. निविदा/कोटेशन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि एवं समय : दिनांक 09.06.2016 दोपहर 1.00बजे तक
2. निविदा/कोटेशन खोलने की अंतिम तिथि एवं समय : दिनांक 09.06.2016 दोपहर बाद 3.00बजे तक
3. अमानत राशि : 5000/- रुपये
4. निविदा/कोटेशन की मान्य अवधि : 120 दिन

मैं /हम संस्थान में आकस्मिक मांग के आधार निम्नलिखित दरों पर वाहन उपलब्ध करवाने हेतु निम्नलिखित दरें प्रस्तुत कर रहा हूँ :-
1-आकस्मिक मांग पर वाहन उपलब्ध कराने की दर :-

S.N o.	Description	A.C.						Non A.C.					
		Quails	Scorpio	Bolero	Innova	Indigo	Swift	Quails	scorpio	Bolero	Innova	Indigo	Swift
1-	Minimum 250KM Running Charges												
2-	Out Station night charges												
3-	Vehicle Reg.No.												
4-	Reg. year												

नोट :- लिमिटेड टेण्डर/कोटेशन रजिस्टर्ड फर्म/ ट्रैवल एजेन्सी/ टेक्सी मालिक द्वारा ही भरा जाना चाहिए एवं आकस्मिक आधार पर उपलब्ध कराये गये वाहन का मैक वर्ष 2014 या इसके बाद का होना चाहिए।

मैं /हम निविदा प्रपत्र में दर्शायी गई सभी नियम व शर्तों का पालन करने के लिये वचनबद्ध है। यदि मेरे /हमारे अथवा मैंरे /हमारे प्रतिनिधियों द्वारा निविदा प्रपत्र में दर्शायी गई सभी शर्तों या किसी आंशिक भाग का पालन नहीं किया जाता है। तो मेरे /हमारे द्वारा जमा कराई गई /जमानत राशि जब्त करने के लिये सहमत है।

मैं /हम निविदा प्रपत्र में दर्शायी गई सभी नियम व शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ व समझ लिया है। जो हमें पूर्ण रूप से स्वीकार है। तथा उनका पालन करने हेतु सहमत हूँ।

फर्म /टेक्सी मालिक का नाम मय पता
पुरा पता
पेन नं.
मोबाइल नं.

नियम व शर्तें

1. निविदायें /कोटेशन संस्थान द्वारा जारी प्रदत्त प्रपत्र पर ही स्वीकार की जावेगी। निविदाये /कोटेशन सील बन्द लिफाफे में दिनांक 9.6.2016 को अपराह्न 1-00 बजे तक या इससे पूर्व क्रय अनुभाग में जमा कराई जा सकती है। इसके पश्चात निविदायें /कोटेशन प्राप्त नहीं किये जायेगे प्राप्त निविदायें /कोटेशन उसी दिन अपराह्न 3-00 बजे संस्थान द्वारा गठित समिति अथवा अधिकृत अधिकारियों द्वारा खोली जायेगी। जिसमें निविदादाता अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते हैं। देरी से प्राप्त सशर्त ,तार,फेक्स ,इत्यादी द्वारा प्राप्त निविदाये /कोटेशन स्वीकार नहीं किये जायेगें। देरी से प्राप्त निविदा /कोटेशन के लिये संस्थान जिम्मेदार नहीं होगा।
2. निविदाकर्ता को निविदा प्रपत्र के साथ रु. 5,000/-अक्षरे पांच हजार रुपये मात्र बतोर अमानत राशि नकद अथवा डिमाड ड्राफ्ट/एफ डी आर के माध्यम से इस संस्थान के पक्ष में जो कि ICAR UNIT CSWRI, Avikanagar (Malpura) के नाम SBBJ Malpura branch (10088) में देय हो के रूप में जमा कराना होगा , बिना अमानत राशि के कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
3. वाहन का रजिस्ट्रेशन टी0न0 (टेक्स)व आल इन्डिया परमिट होना चाहिये जो कि परिवहन विभाग से किराये पर चलाने के लिए मान्य होना चाहिये। वाहन बीमा शुदा होना चाहिए।
4. आकस्मिक आधार पर उपलब्ध कराने वाले वाहनों का मैक वर्ष 2014 व इसके बाद का होना चाहिए अन्यथा निविदा /कोटेशन प्रथम दृष्टया ही अस्वीकृत कर दी जायेगी। तथा निविदा /कोटेशन प्रपत्र में अंकित वाहनों के संबंध में ही होनी चाहिये। संस्थान न्यूनतम दर वाली निविदा /कोटेशन को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं होंगे। उचित दरें ही स्वीकार की जावेगी।
5. आकस्मिक आधार पर ली जाने वाली गाडी का उपयोग राजस्थान राज्य की सीमा में एवं राज्य से बाहर की यात्रा के लिए भी किया जा सकता
6. निविदादाता को उनके द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाले वाहनों मेसे न्यूनतम एक या अधिक वाहन सर्वय के नाम पंजिकृत होने वाले निविदाता को प्राथमिकता दी जावेगी। इस संबंध में प्रमाण स्वरूप आवश्यक दस्तावेजात निविदा /कोटेशन के संलग्न किये जावे। इस संबंध में गठित समिति /सक्षम अधिकारी महोदय द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
7. वाहन के सभी वेध प्रपत्र (बीमा ,रजिस्ट्रेशन प्रदूषण जांच , वाहन चालक का लाईसेन्स आदि)वाहन के साथ उपलब्ध होने चाहिये तथा इसकी एक प्रति संस्थान कार्यालय /वाहन अनुभाग में जमा करानी होगी।
8. वाहन की लॉग बुक चालक के पास रहेगी तथा संबंधित अधिकारी से लॉग बुक में प्रविष्टियां प्रतिदिन दर्ज करानी होगी।
9. यात्रा के दौरान वाहन में किसी प्रकार की टूट फूट होने ,दुर्घटना होने अथवा कोई जुर्माना होने पर इसकी सम्पूर्ण जवाब देही /जिम्मेदारी वहान मालिक की होगी। ऐसी दशा में वाहन में यात्रा कर रहें अधिकारियों /कर्मचारियों को गन्तव्य स्थान पर पहुचाने की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी। वाहन में यात्रा कर रहे अधिकारियों /कर्मचारियों को गन्तव्य स्थान पर पहुचाने की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी वाहन में यात्रा कर रहे अधिकारियों /कर्मचारियों के साथ शालीनता का व्यवहार करना होगा।
10. यात्रि विश्राम भत्ता /प्रभार मुख्यालय से प्रस्थान करने के छ:घन्टे के पश्चात देय होगा। बशर्ते वाहन का ठहराव रात्रि को मुख्यालय से बाहर हो। लगातार चलती गाडी में रात्रि विश्राम नहीं दिया जावेगा।
11. वाहन के रखरखाव व इसको चलाने के लिए आवश्यक डीजल, ऑयल,मरम्मत व सांधरण टोल टेक्स , सभी प्रकार के कर व्यय तथा चालक आदि का समस्त व्यय वाहन मालिक को वहन करना होगा। संस्थान द्वारा निविदा में दर्शायी गई दरों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का देय स्वीकार नहीं किया जायेगा।
12. वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर वाहन मालिक की जिम्मेदारी होगी एवं परिषद/संस्थान द्वारा उसका किसी भी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं दिया जावेगा।
13. वाहन में लगा माईलोमीटर सील किया हुआ एवं कार्यरत होना आवश्यक है तथा इसे बिना किसी अधिकृत अधिकारी की स्वीकृति के नहीं खोला जावेगा, यदि ऐसा पाया गया तो भुगतान संभव नहीं होगा।
14. यदि वाहन मालिक द्वारा अनुबंध की अवधि से पूर्व अपना वाहन स्वेच्छा से हटाया जा सकता है। तो वाहन मालिक द्वारा एक माह पूर्व लिखित सूचना दी जावेगी। लेकिन पिछली अवधि में उसका कार्य संतोषजनक पाये जाने के उपरान्त ही उसकी अमानत/जमानत राशि लौटायी जावेगी।
15. निविदा प्रक्रिया में सफल रहने पर 7 दिवश में वाहन मालिक द्वारा 100 /-रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर संस्थान के साथ अनुबंध करना होगा। यदि निर्धारित तिथि तक अनुबंध नहीं किया जाता है तो उसके द्वारा जमा कराई गयी अमानत /जमानत राशि जब्त कर ली जावेगी। वाहन मालिक द्वारा 3 प्रतियों में बिल प्रस्तुत करने पर प्रतिमाह उचित समयावधि में बिल का भुगतान नियमानुसार किया जावेगा।
16. यदि फर्म की सेवायें संतोषप्रद नहीं पायी जाती हैं तो अमानत /जमानत राशि जब्त की जा सकती है।
17. यह संविदा अनुबंध आदेश जारी होने की तिथि से एक वर्ष के लिए प्रभावी होगा। दोनो पक्षों की सहमति से अनुबंध की अवधि बढ़ाई जा सकती है।
18. आयकर कटौती तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा लगाये जाने वाले कर/टेक्स की कटौती ठेकेदार के बिल/बिलों में से नियमानुसार की जावेगी
19. वाहन के संबंध में किसी प्रकार की अनियमितता या अनुचित आचरण पाये जाने पर तथा फर्म/ ठेकेदार की सेवायें संतोषप्रद रूप से नहीं पाये जाने पर संस्थान तुरन्त प्रभाव से वाहन हटा सकेगा। इस संबंध में संस्थान द्वारा वाहन मालिक को कोई हर्जाना देय नहीं होगा। वाहन चालक द्वारा दुराचरण या मधुपान की स्थिति में नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जायेगी एवं जमानत राशि जब्त करते हुये अनुबंध निरस्त किया जा सकता है। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं वाहन मालिक/फर्म/ठेकेदार की होगी
20. दरें अकों एवं शब्दों दोनो में लिखि जायेगी। जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि अथवा ओवर राईटिंग नहीं की गई हो। किसी प्रकार के संशोधन /कटिंग या अस्पष्ट लिखि हुई होगी। उस पर लघु हस्ताक्षर मय दिनांक करने होंगे तथा निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकार को हस्ताक्षर करने होंगे।
21. समान दरें आने पर नवीनतम वर्ष के मॉडल के वाहन को प्राथमिकता दी जावेगी।

22. किसी भी विवाद की स्थिति में संस्थान के सक्षम अधिकारी महोदय द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व मान्य होगा तथा विधिक (लीगल) वाद में न्यायिक क्षेत्राधिकार मालपुरा होगा ।
23. वाहन एवं वाहन चालक से संबंधित समस्त विधिक (स्महमस) एवं अन्य प्रकार के दायित्वों का निर्वहन निविदादाता/ठेकेदार द्वारा किया जायेगा ।
24. नियोजित वाहन चालक के संबंध में प्रचलित श्रम कानूनों की पालना का उत्तरदायित्व संबंधित फर्म/ठेकेदार का होगा ।
25. सफल निविदादाता को उपलब्ध कराये जाने वाले वाहनों के समस्त/स्वत्व हक के प्रमाण स्वरूप पंजीयन प्रमाण-पत्र मये परिवहन विभाग के टेक्स चुकारा रसीद, अनुबन्ध निष्पादन के समय प्रस्तुत करने होंगे ।
26. सेवा कर (सर्विस टेक्स) रजिस्ट्रेशन की प्रमाणित छाया प्रति प्रस्तुत करनी होगी, यदि निविदादाता सेवा कर प्रदाय करने की सीमा में नहीं आता है तो फर्म के लैटर हैड पर इस आशय की स्वयं के द्वारा घोषणा पत्र निविदा पत्र के साथ प्रस्तुत करनी होगी ।
27. टेण्डर की वैधता इनको खोलने की तिथि से 120 दिन तक रहेगी। जिस आपूर्तिकर्ता की दरें अनुमोदित की जावेगी। उसे उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन की समस्त स्थितियों की सावधानीपूर्वक जाँच कर लेनी चाहिये।
28. फर्म द्वारा राज्य सरकार /केन्द्र सरकार के कार्यालय एवं अन्य प्रतिष्ठित उपक्रमों से प्रतिबंधित/ब्लैक लिस्टेड नहीं होने का प्रमाण पत्र (स्वयं के द्वारा)संलग्न किया जाना आवश्यक है।
29. यात्रा के दौरान वाहन में किसी प्रकार की खराबी होने की स्थिति में संस्थान के अधिकारियों /कर्मचारियों को संस्थान तक पहुँचाने की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी जिसके लिये कोई अतिरिक्त देय नहीं होगा।
30. यह अनुबंध /संविधा कार्य (Work Contract Basis) कार्य आधार पद्धति पर आवंटित किया जायेगा। अनुबंध समाप्ति के पश्चात निविदादाता अथवा उसके प्रतिनिधि का संस्थान से कोई संबंध नहीं रहेगा।
31. किसी भी निविदा को सम्पूर्ण अथवा आंशिक किसी भाग को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सक्षम अधिकारी महोदय को सुरक्षित है।

सहायक प्रशासनिक अधिकारी

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मैंने निविदा में दशार्थी गई सभी नियम शर्तों को भलीभांति व अच्छी तरह से पढ़ तथा समझ लिया है। मुझे निविदा में दशार्थी गई सभी नियम व शर्तें स्वीकार हैं। तथा मैं इनका पूर्ण रूप से पालन करूंगा।

हस्ताक्षर निविदा प्रस्तुतकर्ता
नाम.....
पता.....
मय मोहर.....